RNI No. MAHBIL /2009/31746

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ५, अंक ५] गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०१९/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४१ [पृष्ठे ४६

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, सन २०१७.— महाराष्ट्र विनियोग (तृतीय अधिक व्यय) अधिनियम, २०१७। . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७, सन २०१७.— महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापति तथा उपसभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) का वेतन और भत्ता, महा. मंत्री वेतन और भत्ता, महा. विधान मंडल सदस्य वेतन और भत्ता और महा., विधान मंडल के विरोधी पक्ष नेता का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २०१७।	२१
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, सन २०१७.— महाराष्ट्र आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, २०१७। . .	२४
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९, सन २०१७.— महाराष्ट्र मद्यनिषेध (संशोधन) अधिनियम, २०१७। . .	२८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०, सन २०१७.— महाराष्ट्र खनिज विकास (सृजन तथा उपयोग) निधि (निरसन) अधिनियम, २०१७। . .	३०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, सन २०१७.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (पाँचवा संशोधन) अधिनियम, २०१७। . .	३१
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२, सन २०१७.— मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१७। . .	३५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, सन २०१७.— महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१७। . .	३७

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2017.

THE MAHARASHTRA APPROPRIATION (THIRD EXCESS EXPENDITURE) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १३ जनवरी २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2017.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE AUTHORISATION OF APPROPRIATION OF MONEYS OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE TO MEET THE AMOUNT SPENT ON CERTAIN SERVICES DURING THE FINANCIAL YEAR ENDED ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2012, IN EXCESS OF THE AMOUNTS GRANTED FOR THOSE SERVICES AND FOR THAT YEAR.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १६ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य की समेकित निधि में से इकतीस मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के उपबन्धार्थ अधिनियम।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, इकतीस मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्षावधि में कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु, राज्य की समेकित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग अधिनियम को पारित करने का उपबंध करना आवश्यक है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग (तृतीय अधिक व्यय) अधिनियम, २०१६ कहलाये।

राज्य की समेकित निधि में से वर्ष २०११-२०१२ के लिए कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति के लिए ९ अरब, ११ करोड़, ८८ लाख, ८७ हजार रुपये देना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें ऐसी रकम, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकम, जो कुल मिलाकर नौ अरब, ग्यारह करोड़ अठासी लाख, सत्तासी हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट विविध सेवाओं और प्रयोजनों के बारे में २०१२ के मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए व्ययन हेतु, उस वित्तीय वर्ष के लिए उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकम की पूर्ति के लिए अदा की तथा लगायी गयी समझी जाएगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम के अधीन राज्य की समेकित निधि और उसमें से अदा की जाने वाली और लगायी जाने के लिए प्राधिकृत समझी जानेवाली रकमों की अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए इकतीस मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बद्ध में विनियोग किया गया समझा जाएगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी (४) विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय			
		राजस्व तथा वन विभाग			
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन। . .	२०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन। . .	२२,४०,३५,०००	. . . .	२२,४०,३५,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग। . .	२२,४०,३५,०००	. . . .	२२,४०,३५,०००
		वित्त विभाग			
जी-३	ब्याज अदागियाँ तथा ऋण सेवा। . .	२०४८, ऋणों में कमी करने या परिहार। के लिए विनियोग २०४९, ब्याज अदायगियाँ। . .	. . . .	८०,३७,५५,०००	८०,३७,५५,०००
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। . .	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। . .	६,९१,४४,१५,०००	. . . .	६,९१,४४,१५,०००
		कुल—वित्त विभाग। . .	६,९१,४४,१५,०००	८०,३७,५५,०००	७,७१,८१,७०,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग			
एच-३	गृहनिर्माण। . .	२२१६, गृहनिर्माण। . .	४०,७३,३१,०००	. . . .	४०,७३,३१,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग । . .	४०,७३,३१,०००	. . . .	४०,७३,३१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२,११,०००	. . .	२,११,०००
के-८	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	१२,०७,०००	. . .	१२,०७,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	१४,१८,०००	. . . .	१४,१८,०००
		योजना विभाग				
ओ-१४	जिला योजना - मुंबई शहर।	. . २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१६, गृहनिर्माण। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास । २४०५, मत्स्य उद्योग। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन।	. .	३,०१,८४,०००	. . . .	३,०१,८४,०००

ओ-१९	जिला योजना - सिंधुदुर्ग।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्देशीय जल परिवहन। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	७१,२१,०००	. . .	७१,२१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२०	जिला योजना - पुणे।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	३,८५,०९,०००	. . .	३,८५,०९,०००

ओ-२६	जिला योजना - धुलिया।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	९९,६३,०००	. . .	९९,६३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२७	जिला योजना - जलगाव।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	७,३०,१९,०००	. . .	७,३०,१९,०००

ओ-३०	जिला योजना - औरंगाबाद।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पूल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,२७,७९,०००	. . .	१,२७,७९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३६	जिला योजना - उस्मानाबाद।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पूल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,४९,५८,०००	. . .	१,४९,५८,०००

ओ-३८	जिला योजना - नागपुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पूल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	११,०६,५१,०००	. . .	११,०६,५१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३९	जिला योजना - वर्धा।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पूल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	७७,३३,०००	. . .	७७,३३,०००

ओ-४१	जिला योजना - चंद्रपूर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पूल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	५१,२०,०००	. . .	५१,२०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४५	जिला योजना - अकोला।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पूल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	२,७९,१५,०००	. . .	२,७९,१५,०००

ओ-४६	जिला योजना - यवतमाल।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पूल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१४,३०,८८,०००	. . .	१४,३०,८८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४७	जिला योजना - बुलढाणा।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पूल। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राजसंस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,५८,३७,०००	. . .	१,५८,३७,०००
		कुल—योजना विभाग।	. .	४९,६८,७७,०००	. . . .	४९,६८,७७,०००

		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिये राजस्व परिव्यय।	२२०३, तकनीकी शिक्षा। २२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	१,९५,१३,०००	. . . .	१,९५,१३,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	. .	१,९५,१३,०००	. . . .	१,९५,१३,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	५९,०००	. . . .	५९,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	. .	५९,०००	. . . .	५९,०००
		कुल—क-राजस्व लेखा पर व्यय।	. .	**८,०६,३६,४८,०००**	**८०,३७,५५,०००**	**८,८६,७४,०३,०००**
		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय				
		राजस्व तथा वन विभाग				
के-११	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	. .	२,४१,०००	. . . .	२,४१,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	२,४१,०००	. . . .	२,४१,०००
		योजना विभाग				
ओ-२१	जिला योजना—सातारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।	. .	२७,०६,०००	. . .	२७,०६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२२	जिला योजना—सांगली।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	५,६५,५३,०००	....	५,६५,५३,०००
ओ-२४	जिला योजना—कोल्हापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, खाद्य नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।	..	५,२४,२६,०००	....	५,२४,२६,०००

ओ-२९	जिला योजना—नंदूरबार।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	८,९३,०००	. . . .	८,९३,०००
ओ-३१	जिला योजना—जालना।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, खाद्य नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,६९,६५,०००	. . . .	१,६९,६५,०००
ओ-३५	जिला योजना—लातूर।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	२,९५,२९,०००	. . . .	२,९५,२९,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४२	जिला योजना—गड़चिरोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	९,१३,७८,०००	. . . .	९,१३,७८,०००
ओ-४३	जिला योजना—गोंदिया।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	७,९३,०००	. . . .	७,९३,०००
			कुल—योजना विभाग . .	**२५,१२,४३,०००**	**. . . .**	**२५,१२,४३,०००**
			कुल—ख-पुंजी लेखे पर व्यय . .	**२५,१२,४३,०००**	**२,४१,०००**	**२५,१४,८४,०००**
			कुलयोग . .	**८,३१,४८,९१,०००**	**८०,३९,९६,०००**	**९,११,८८,८७,०००**

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2017.

THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE COUNCIL (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN) AND THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER) SALARIES AND ALLOWANCES, THE MAHARASHTRA MINISTERS SALARIES AND ALLOWANCES, THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS SALARIES AND ALLOWANCES AND THE LEADERS OF OPPOSITION IN MAHARASHTRA LEGISLATURE SALARIES AND ALLOWANCES (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १३ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHRASHTRA LEGISLATIVE COUNCIL (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN) AND MAHARASHTRA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER) SALARIES AND ALLOWANCES ACT, THE MAHARASHTRA MINISTERS SALARIES AND ALLOWANCES ACT, THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS SALARIES AND ALLOWANCES ACT AND THE LEADER OF OPPOSITION IN MAHARASHTRA LEGISLATURE SALARIES AND ALLOWANCES ACT, 1978.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७ सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १६ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) का वेतन और भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यों का वेतन और भत्ता अधिनियम और महाराष्ट्र विधानमंडल विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, १९७८ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९५६ का ४७। सन् १९५६ का ४८। सन् १९५६ का ४९। सन् १९७८ का महाराष्ट्र ८।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) का वेतन और भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्यों का वेतन और भत्ता अधिनियम और महाराष्ट्र विधानमंडल विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, १९७८ में संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष, में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्षा और उपाध्यक्ष) का वेतन और भत्ता, महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता और महाराष्ट्र विधानमंडल के विरोधी पक्ष नेता का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह २४ अगस्त, २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापति तथा उप-सभापति) महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) का वेतन तथा भत्ता अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५६ का ४७ की धारा ३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापति और उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) वेतन और भत्ता अधिनियम (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, " सभापति और उप-सभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन और भत्ता अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ में, "मूल वेतन और महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते " शब्दों के स्थान में, "मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता" शब्द रखे जायेंगे। सन् १९५६ का ४७।

सन् १९५६ का ४७ की धारा १० में संशोधन।

३. सभापति और उप-सभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन और भत्ता अधिनियम की धारा १० में, "मूल वेतन और महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते " शब्दों के स्थान में, " मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता " शब्द रखें जायेंगे।

सन् १९५६ का ४७ की धारा १०क का अपमार्जन।

४. सभापति तथा उप-सभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा १० क अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९५६ का ४७ की धारा ११क में संशोधन।

५. सभापति तथा उप-सभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा ११ क की, उप-धारा (२) अपमार्जित की जायेगी।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५६ का ४८ की धारा ३ में संशोधन।

६. महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ की,— सन् १९५६ का बम्बई ४८।

(१) उप-धारा (१) में "मूल वेतन और महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों " शब्दों के स्थान में, " मूल वेतन और महंगाई भत्ता " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) में "मूल वेतन और महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों " शब्दों के स्थान में, " मूल वेतन और महंगाई भत्ता " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९५६ का महा. ४८ की धारा ५ में संशोधन।

७. मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (२) अपमार्जित की जायेगी।

अध्याय चार

महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५६ का ४९ की धारा ३ में संशोधन।

८. महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात्— सन् १९५६ का ४९।

"(१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सदस्यों को, उनकी पदावधि के दौरान, महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव को अनुज्ञेय और समय-समय से यथा पुनरीक्षित न्यूनतम मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता के समतुल्य वेतन अदा किया जायेगा।"।

अध्याय पाँच

महाराष्ट्र विधानमंडल में विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, १९७८ में संशोधन।

सन् १९७८ का महाराष्ट्र ८।

९. महाराष्ट्र विधानमंडल में विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, १९७८ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, "महाराष्ट्र विधानमंडल में विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम" कहा गया है।) की धारा ३ में, " मूल वेतन और महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों " शब्दों के स्थान में, " मूल वेतन और महंगाई भत्ता " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९७८ का महाराष्ट्र ८ की धारा ३ में संशोधन।

१०. महाराष्ट्र विधानमंडल में विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (२), अपमार्जित की जायेगी। सन् १९७८ का महाराष्ट्र ८ की धारा ५ में संशोधन।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2017.

THE MAHARASHTRA AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १४ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2017.

AN ACT TO PROVIDE FOR, AS A GOOD GOVERNANCE MEASURE, EFFICIENT, TRANSPARENT, AND TARGETED DELIVERY OF SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES, THE EXPENDITURE FOR WHICH IS INCURRED ENTIRELY FROM THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE, TO THE INDIVIDUALS RESIDING IN THE STATE OF MAHARASHTRA USING AADHAR AS A SOLE IDENTIFIER, AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १६ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को, आधार को विशिष्ट पहचानकर्ता के रुप में प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिये सुशासन माध्यम के रुप में, दक्ष, पारदर्शी और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्ष्यित परिदान के लिए, जिसके लिए राज्य की समेकित निधिमें से संपूर्ण व्यय उपगत किया जाता है, का उपबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को आधार को विशिष्ट पहचानकर्ता के रुप में प्रयोग करनेवाले व्यक्तियों के लिये, सुशासन माध्यम के रुप में, दक्ष, पारदर्शी और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओ के लक्ष्यित परिदान के लिये, जिसके लिये राज्य की समेकित निधि में से संपूर्ण व्यय उपगत किया जाता है, का उपबंध करने के लिये तथा उससे संबंधित मामलों के लिये एक विधि बनाना इष्टकर है ; अत: भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतदद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभण के प्रति किन्ही संदर्भ का अर्थान्वयन उस उपबंध प्रारम्भण संदर्भ के रुप में लगाया जाएगा।

परिभाषाएँ।

२. (२) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " आधार संख्यांक " का तात्पर्य, केन्द्रीय अधिनियम की धारा ३ के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गयी पहचान संख्यांक से है ;

(ख) " राज्य सरकार का अभिकरण " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य में किन्हीं केन्द्रीय या राज्य विधि द्वारा स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निकाय स्थानीय निकाय समेत से है, जिसमे राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व तथा नियंत्रित अन्य किन्ही निकाय समाविष्ट हे तथा इसमें, निकाय जिनका गठन तथा प्रशासन राज्य सरकार द्वारा मुख्य रुप से नियंत्रित किया जाता है ;

(ग) " अधिप्रमाणन " का तात्पर्य, ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्या, केन्द्रीय पहचान आकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता या कमी सत्यापित करता है ;

(घ) " प्रसुविधा " का तात्पर्य, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रदत्त नकद या वस्तु के रुप में कोई सहूलियत, दान, इनाम, अनुतोष या संदाय और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य प्रसुविधाएं जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए से हैं ;

(ड़) " बायोमैट्रिक सूचना " का तात्पर्य, फोटो उंगली छाप, आइरिस स्कैन या किसी व्यक्ति के अन्य ऐसे जैविक प्रतीक से हैं, जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ;

सन् २०१६ का १८।

(च) " केंद्रीय अधिनियम " का तात्पर्य, आधार (वित्तीय तथा अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, २०१६ से हैं ;

(छ) " केंद्रीय पहचान आंकडे निक्षेपागार " का तात्पर्य, एक या अधिक अवस्थानों में ऐसा केंद्रीयकृत आंकडा आधार से है, जिसमें आधार संख्यांक धारकों को तत्समान जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना तथा उससे संबंधित अन्य सूचना के साथ ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए सभी आधार संख्यांक अंतर्विष्ट हैं ;

(ज) " राज्य की समेकित निधि " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य की समेकित निधि, से है ;

(झ) " जनसांख्यिकीय सूचना " के अंतर्गत किसी व्यक्ति के संबंध में नाम, जन्मतारीख, पता और अन्य सुसंगत जानकारी, जो आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परंतु इसके अंतर्गत मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातियता, भाषा, हकदारी, आय या चिकित्सा इतिहास के अभिलेख नहीं होगें ;

(त्र) " नामांकन " का तात्पर्य, ऐसी प्रक्रिया से है जो केंद्रीय अधिनियम के अधीन ऐसी व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन के लिए नामांकन करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ट) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार, से हैं ;

(ठ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से हैं ;

(ड) " सेवा " का तात्पर्य, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रुप में प्रदत्त कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता से है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य सेवाएँ है, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ; और

(ढ) " सहायकी " का तात्पर्य, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु में किसी भी रुप में सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग से है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य सहायकियाँ है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय से अधिसूचित की जाए।

(२) इस अधिनियम में प्रयुक्त परंतु इसमें उपर्युक्त परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, उन्हे केंद्रीय अधिनियम के अधीन क्रमश: समनुदेशित किये गये के अनुसार होगा।

कतिपय सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं आदि की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का सबूत।

३. राज्य सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार का कोई अभिकरण किसी साहियकी, प्रसुविधा या सेवा जिसके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है या उस से प्राप्ति उसका भाग होती है की शर्त के रुप में किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति का अभिप्रमाणन कराया जाए या आधार संख्या धारण करने का सबूत दे या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसको कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करता है :

परंतु, यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है तो व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रस्थापित किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित करने वाली योजनाएँ।

४. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभण के तीन महीने की अवधि के भीतर, तथा उसके पश्चात्, समय-समय से, योजनाएँ, सहायकियों, प्रसुविधाओं या सेवाओं की सूची अधिसूचित करेगी, जिसके लिए, धारा ३ के अनुसार ऐसे प्रमाणीकरण या सबूत आवश्यक हैं।

केंद्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और छह का लागू होना।

५. केंद्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और छह के उपबंध, **यथावश्यक परिवर्तन समेत** इस अधिनियम के अधीन प्रमाणीकरण के लिये लागू होंगे।

अधिनियम किसी अन्य विधि के अतिरिक्त और अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे।

६. इस अधिनियम के उपबंध, तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त और अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

७. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी या सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

८. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्ननिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विभिन्न सहायकियाँ प्रसुविधा, सेवा तथा अन्य प्रयोजनों जिनके लिये, आधार संख्यांक प्रयुक्त किया जा सकेगा को मुहैया या उपलब्ध करने के प्रयोजनों के लिये आधार संख्यांक के उपयोग की रीति विनिर्दिष्ट करना ;

(ख) कोई अन्य मामला, जो आवश्यक हो, या विनिर्दिष्ट किया जाये या जिसके संदर्भ मे नियमों द्वारा उपबंध बनाये जाये।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में हो, और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिये सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये, और ऐसे विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते है, तो नियम ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा, या यथास्थिति निष्प्रभावि हो जाएगा, तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोडी गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

९. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई ऐसी बात कर सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतित हो : कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति।

परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडळ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2017.

THE MAHARASHTRA PROHIBITION (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १४ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHRASHTRA PROHIBITION ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १६ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है, इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९४९ का २५।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र मद्यनिषेध (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह ऐसे क्षेत्रों में और ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें ; और विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दिनांक नियत करें।

सन् १९४९ का २५ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम, (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के, खंड (१७) के पश्चात्, निम्न खंड, निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का २५।

"(१७क) "ग्राम रक्षक दल" का तात्पर्य, धारा १३४ क के अधीन स्थापित "ग्राम रक्षक दल" से है " ;

सन् १९४९ का २५ की धारा १३४ क की निविष्टि।

३. मूल अधिनियम की धारा १३४ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

ग्रामरक्षक दल की स्थापना।

"१३४(क). (१) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन गठित ग्रामपंचायत, संकल्प द्वारा, हस्ताक्षरित आवेदन द्वारा क्षेत्र के उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट को, **ग्रामरक्षक दल** की स्थापना के प्रयोजन के लिए विशेष **ग्रामसभा** का संयोजन करने के लिए अनुरोध करेगा। सन् १९५९ का ३।

(२) (क) क्षेत्र के उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, उप-धारा (१) के अधीन अनुरोध की प्राप्ति पर **ग्रामसभा** की ऐसी विशेष बैठक बुलाएगा ;

(ख) उप-धारा (१) के अधीन आवेदक के आवेदन का प्ररूप, आवेदन प्रस्तुत करने का ढ़ंग और अधिप्रमाणिकरण के सत्यापन की रीति ऐसी होगी जैसा की विहित किया जाए ;

(ग) ऐसी **ग्रामसभा** की बैठक, क्षेत्र के तहसिलदार की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी ;

(घ) **ग्रामसभा**, **ग्रामरक्षक दल** के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सिफारिश कर सकेगी ;

(ङ) उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, ग्रामसभा की सिफारिशों पर **ग्रामरक्षक दल** स्थापित करेगा ;

(च) ऐसे **ग्रामरक्षक दल** के सदस्यों की पदावधि दो वर्षों की होगी।

(३) **ग्रामरक्षक दल**, वहाँ के **ग्राम पंचायत** में जो सदस्य हैं ऐसे कई सदस्यों से मिलकर बनेगी, परंतु वह ग्यारह सदस्यों से अधिक नहीं होगी।

(४) **ग्रामरक्षक दल**, के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाएगा।

(५) **ग्रामरक्षक दल** में, महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा।

(६) **ग्रामरक्षक दल** का प्रत्येक सदस्य, इस अधिनियम के अधीन उसकी जानकारी के अनुसार किसी अपराध के घटित होने पर किसी अपराध के लिये आशयित या की तैयारी के लिए नजदीकी पुलिस स्थानक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को तुरंत सूचना देने के लिए आबद्ध होगा।

(७) **ग्रामरक्षक दल** के सदस्य के कर्तव्य और उत्तरदायित्व ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाए।".

सन् १९४९ का २५ की धारा १४३ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १४३ की, उप-धारा (२) में, खण्ड (ब) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्डों को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :–

"(भ) धारा १३४ क की उप-धारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन आवेदन का प्ररूप, आवेदन प्रस्तुत करने का ढ़ंग और आवेदकों की अधिप्रमाणिकरण के सत्यापन की रीति विहित करना ;

(म) धारा १३४ क की उप-धारा (४) के अधीन **ग्रामरक्षक दल** के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता विहित करना ;

(य) धारा १३४ क की उप-धारा (७) के अधीन **ग्रामरक्षक दल** के सदस्यों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को विहित करना।".

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2017.

THE MAHARASHTRA MINERAL DEVELOPMENT (CREATION AND UTILISATION) FUND (REPEAL) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १७ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2017.

AN ACT TO REPEAL THE MAHARASHTRA MINERAL DEVELOPMENT (CREATION AND UTILISATION) FUND ACT, 2001.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १८ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र खनिज विकास (सृजन तथा उपयोग) निधि अधिनियम, २००१ का निरसन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र खनिज विकास (सृजन तथा उपयोग) निधि अधिनियम, २००१ का निरसन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् २००१ का महा. १९।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र खनिज विकास (सृजन तथा उपयोग) निधि (निरसन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् २००१ का महा. १९ का निरसन। **२.** महाराष्ट्र खनिज विकास (सृजन तथा उपयोग) निधि अधिनियम, २००१, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता हैं। सन् २००१ का १९।

जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली योजनाएँ, विभिन्न गतिविधियाँ तथा कृत्य। **३.** इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से, महाराष्ट्र खनिज विकास (सृजन तथा उपयोग) निधि अधिनियम, २००१ की धारा ५ के अधीन, उपयोग के लिये, सक्षम प्राधिकरण द्वारा, निधि मंजूर किया जाता है, तो खनिज विकास से संबंधित, सरकार अनुमोदित योजनाएँ तथा विभिन्न गतिविधियाँ और कृत्य, खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५७ की धारा ९ख की उप-धारा (१) के अधीन, प्रत्येक राजस्व जिले में (बृहत् मुंबई जिले को छोडकर), राज्य सरकार द्वारा स्थापित, संबंधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास द्वारा, क्रियान्वित किये जायेंगे। सन् २००१ का महा. १९। सन् १९५७ का ६७।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2017.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (FIFTH AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १७ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १८ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

सन् १९६६ का महा. ४१।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (पाँचवा संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ३५ में संशोधन।

सन् १९६६ का महा. ४१।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे " उक्त संहिता " कहा गया है) की धारा ३५ की,—

(क) उप-धारा (२) में, " उसके निर्धारण के चौबीस गुना से अधिक न हो, ऐसे मूल्य पर " शब्दों के स्थान में, " उसके निर्धारण के चौबीस गुना से अधिक न हो, ऐसे मूल्य पर या जैसा विहित किया जाए ऐसे रकम के गुना पर, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) में, " निर्धारण के तीन गुना के समान " शब्दों के स्थान में, " निर्धारण के तीन गुना के समान या जैसा विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४४ में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा ४४ की, उप-धारा (५) में, " कलक्टर, इस निमित्त, बनाये गये नियमों के अध्यधीन निदेश दे सकें, ऐसा पाँच सौ रुपये से अधिक न हो, ऐसे जुर्माने से " शब्दों के स्थान में, " पाँच सौ रुपयों से कम न हो ऐसे, जुर्माने से या जैसा कि विहित किया जाये ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, कलक्टर द्वारा निदेशित कि जा सकें ", शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४४ क में संशोधन।

४. उक्त संहिता की धारा ४४ क की,—

(क) उप-धारा (३) के, खण्ड (क) के उप-खण्ड (झ) में, " जैसा कि कलक्टर, इस निमित्त बनाये गये नियमों, यदि कोई हो, के अध्यधीन निदेश दे सकें, दस हजार रुपयों से अधिक न हो ऐसी शास्ति से " शब्दों के स्थान में, " जैसा कि कलक्टर निदेश दे सके, दस हजार रुपयों से अधिक न हो ऐसी शास्ति से या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) के, खण्ड (क) में, " अतिरिक्त शास्ति " शब्दों से प्रारम्भ होने वाले तथा " एक सौ रुपये " शब्दों से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" ऐसे उल्लंघन के लिये, पाँच हजार रुपये से अधिक न हो, ऐसी अधिकतर शास्ति से या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, तथा एक सौ रुपये से अधिक न हो, ऐसी दैनिक शास्ति से या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर हो, "।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४५ में संशोधन।

५. उक्त संहिता की धारा ४५ की, उप-धारा (२) में, " शास्ति का व्यक्ति " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले तथा "तीस रुपये " शब्दों से समाप्त होने वाले प्रभाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा अर्थात् :—

" ऐसे उल्लंघन के लिये तीन सौ रुपयों से अधिक न हो, शास्ति का व्यक्ति या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो कोई भी अधिकतर है, तथा तीस रुपयों से अधिक न हो, ऐसी अतिरिक्त शास्ति से या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम, जो कोई भी अधिकतर है, "।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४७क में संशोधन।

६. उक्त संहिता की धारा ४७क की,—

(क) उप-धारा (२) में, " पाँच गुना " शब्दों के स्थान में, " पाँच गुना या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (३) में, " पाँच गुना " शब्दों के स्थान में, " के पाँच गुना या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४९ में संशोधन।

७. उक्त संहिता की धारा ४९ की,—

(क) उप-धारा (२) के, खण्ड (४) के, उप-खण्ड (ख) में, " २५ **पैसे** के दर पर " शब्दों तथा अंकों के स्थान में " पच्चीस **पैसै** के दर पर या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (१०) में, " एक सौ रुपयों से अधिक न हो " शब्दों के स्थान में " एक सौ रुपये से अधिक न हो या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ५० में संशोधन।

८. उक्त-संहिता की धारा ५० की,—

(क) उप-धारा (२) में,—

(एक) " जुर्माना, जो पाँच रुपये से कम न हो किंतु, एक हजार रुपयों से अधिक न हो " शब्दों के स्थान में " जुर्माना, जो एक हजार रुपये होगा या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) " दो हजार रुपयों से अधिक न हो " शब्दों के स्थान में, " दो हजार रुपये से अधिक न हो या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) " पचास रुपये " शब्दों के स्थान में, " पचास रुपये या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिक है, " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) में,—

(एक) " पच्चीस रुपये " शब्दों के स्थान में, " पच्चीस रुपये या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) " पचास रुपये " शब्दों के स्थान में, " पचास रुपये या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ५१ में संशोधन।

९. उक्त संहिता की धारा ५१ में, " पाँच गुना " शब्दों के स्थान में, " पाँच गुना या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द, दोनों स्थानों पर, जहाँ कहीं भी वह आये हो, रखे जायेंगे।

१०. उक्त संहिता की धारा ५३ की, उप-धारा (३) में, " भूमि के लिये निर्धारण या किराये के दो गुना " शब्दों के स्थान में, " भूमि के लिये निर्धारण या किराये के दो गुना या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ५३ में संशोधन।

११. उक्त संहिता की धारा ७० के, परंतुक में, " केवल एक रुपया " शब्दों के स्थान में, " एक रुपया या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ७० में संशोधन।

१२. उक्त संहिता की धारा ७२ की, उप-धारा (३) में, " निर्धारण के तीन गुना " शब्दों के स्थान में, निर्धारण के तीन गुना या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे निर्धारण के गुना, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ७२ में संशोधन।

१३. उक्त संहिता की धारा ११० की, उप-धारा (२) में,— सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ११० में संशोधन।

(क) " दस **पैसे** " शब्दों के स्थान में, " दस **पैसे** या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " पाँच **पैसे** " शब्दों के स्थान में, " पाँच **पैसे** या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे।

१४. उक्त संहिता की धारा १२९ और उसके परन्तुक में, " एक रुपये " शब्द दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वह आया हों, के स्थान में, " एक रुपये या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा १२९ में संशोधन।

१५. उक्त संहिता की धारा १७४ में, " इस प्रकार अदा न की गई रकम के पच्चीस प्रतिशत " शब्दों के स्थान में, " इस प्रकार अदा न की गई रकम के पच्चीस प्रतिशत या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा १७४ में संशोधन।

१६. उक्त संहिता की धारा २२९ के खण्ड (ग) में, " पचास रुपये " शब्दों के स्थान में, " पचास रुपये या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २२९ में संशोधन।

१७. उक्त संहिता की धारा २६६ के परंतुक में,— सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २६६ में संशोधन।

(क) " प्रतिवर्ष एक रुपये " शब्दों के स्थान में, " प्रतिवर्ष एक रुपये या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम जो कोई अधिकतर है " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " निर्धारण के तीस गुना " शब्दों के स्थान में, " निर्धारण के तीस गुना या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम जो भी अधिकतर है " शब्द रखे जायेंगे।

१८. उक्त संहिता की धारा २६७ की, उप-धारा (२) में, " अनुसूची च " शब्द और अक्षर के पश्चात्, " या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अधिकतर रकम जो भी अधिकतर है " शब्द जोड़े जायेंगे। सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २६७ में संशोधन।

१९. उक्त संहिता की धारा २७३ में,— सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २७३ में संशोधन।

(क) " अनुसूची छ " शब्द और अक्षर के पश्चात्, " या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अधिकतर रकम जो भी अधिकतर है " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) " पच्चीस **पैसे** " शब्दों के स्थान में, " पच्चीस **पैसे** या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २८९ में संशोधन।

२०. उक्त संहिता की धारा २८९ में, " पाँच रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच रुपये या जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २९१ में संशोधन।

२१. उक्त संहिता की धारा २९१ में, " कुल मिला कर दस रुपये " शब्दों के स्थान में, " कुल मिला कर दस रुपये या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २९८ में संशोधन।

२२. उक्त संहिता की धारा २९८ में,—

(क) " दस रुपये " शब्दों के स्थान में, " दस रुपये या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " एक सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक सौ रुपये या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ३२४ में संशोधन।

२३. उक्त संहिता की धारा ३२४ में,—

(क) " एक सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक सौ रुपये या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " पाँच सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच सौ रुपये या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ३२९ में संशोधन।

२४. उक्त संहिता की धारा ३२९ की, उप-धारा (२) में, " एक हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक हजार रुपये या जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रकम, जो भी अधिकतर है, " शब्द रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2017.

THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १७ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १९ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् १८८८ का ३।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में, अधिकतर संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् १८८८ का ३ की धारा ३५४ में संशोधन।

सन् १८८८ का ३।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) कि धारा ३५४ की उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा तथा स्पष्टीकरण, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(३) यदि आयुक्त को यह प्रतित होता है कि, कोई भवन धोखादायक है तथा इसे उप-धारा (१) के अधीन निचे गिराया जाना आवश्यक है तो, आयुक्त, तद्धीन सूचना जारी करने के पूर्व, उसमें उसे ज्ञात हो या उसके अभिलेख से उस भवन के अधिभोगियों के नाम अधिभोग में क्षेत्र और अधिभोग में परिसर का स्थान प्रत्येकी संबंधित अधिभोगियों या, यथास्थिति, किराएदारों का कब्जा कथित करने के लिए स्वामी द्वारा लिखित हस्ताक्षर में विवरण देने के लिए स्वामी को बुलायेगा।

(४) यदि वह उप-धारा (३) द्वारा अनुबद्ध अवधि के भीतर यथा आवश्यक विवरण देने में असफल होता है, तब आयुक्त, उक्त भवन के अधिभोगियों की सूची तथा स्थान की विस्तृत जानकारी सहित उनके संबंधित अधिभोग और कब्जा में परिसर के चटाई क्षेत्र के अधिभोगियों की सूची बनायेगा।

(५) इस धारा के अधीन की जानेवाली कार्यवाही किसी रित्या में पुर्नअधिभोग अधिकार समेत स्वामियों या किराएदारों या अधिभोगियों के पारस्पारिक अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "किराएदार" का तात्पर्य, महाराष्ट्र दर नियंत्रण अधिनियम, १९९९ की धारा ७ के खण्ड (१५) में यथा समनुदेशित समान अर्थ से होगा।"।

सन् २००० का महा. १८।

सन् १८८८ का ३ की धारा ४९९ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४९९ में,—

(क) उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ, जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

"(३) यदि, स्वामी, भवन गिराने के, जो धारा ३५४ के साथ पठित धारा ४८९ के अनुसरण में, ढा दी गई है, के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर, पुनर्निर्माण करने में असफल होता है तो, किराएदार, किसी सहयोजन या संस्था गठित करने का हकदार होगा तथा भवन पुनर्निर्माण करने के लिए समुचित कदम उठायेगा।

(४) भवन का स्वामी, जो धारा ३५४ के साथ पठित धारा ४८९ के अनुसरण में गिराई गई है, ऐसे भवन ढा देने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि कि भीतर या राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा जो मान्यता दी है ऐसे विस्तारित अवधि में, भवन पुनर्निर्माण करने या पुनर्विकास करने का कार्य पूरा करेगा। यदि स्वामी, उक्त अवधि के भीतर भवन का पुनर्निर्माण या पुनर्विकास का कार्य पूरा करने में असफल होता है तब किराएदार किसी सहयोजन या संस्था गठित करने का हकदार होगा तथा ऐसे भवन का पुनर्निर्माण करने के लिए समुचित कदम उठायेंगे।

(५) उप-धारा (३) या, यथास्थिति, (४) के अनुसार ऐसे भवन के पुनर्निर्माण तथा पुनर्विकास करने के पश्चात्, किराएदार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र के समतुल्य का क्षेत्र, बिना किसी विलंब के तथा ऐसे भवन का पुनर्निर्माण, यथास्थिति, पुनर्विकास का कार्य पूरा होने से एक महिने के भीतर स्वामी या सहयोजन या, यथास्थिति, संस्था द्वारा उसे सौंपा जाएगा।

(६) उप-धारा (३) या (४) के अधीन किराएदार को पुनर्निर्माण का अधिकार केवल ढा गये भवन के क्षेत्र के विस्तार के पुनर्निर्माण के लिए होगा। पुनर्निर्माण तथा पुनर्विकसित भवन समेत भूमि का अधिकार के स्वामी के साथ निरंतर शेष रहेगा तथा किराएदार की यथापूर्व स्थिति केवल किराएदार के रुप में शेष रहेगी ;";

(ख) **स्पष्टीकरण** दो के पश्चात्, निम्न स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण तीन.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "किरायेदार" का तात्पर्य, महाराष्ट्र दर नियंत्रण अधिनियम, १९९९ की धारा ७ का खण्ड (१५) में यथा परिभाषित किराएदार से है।"। सन् २००० का १८।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2017.

THE MAHARASHTRA (SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ मार्च, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2017.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2017.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २३ मार्च, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१७ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१७ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१७ कहलाए।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के लिए १ खरब, ११ अरब, ०४ करोड़, ९६ लाख, २५ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर एक खरब, ग्यारह अरब, चार करोड़, छियानबे लाख, पच्चीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०१७ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष में होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१७ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी: विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग ।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		गृह विभाग				
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, जल परिवहन।	. .	१०,०२,८८,१९,०००	. . .	१०,०२,८८,१९,०००
		कुल— गृह विभाग।	. .	१०,०२,८८,१९,०००	. . .	१०,०२,८८,१९,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	. . .	२,६२,४९,०००	२,६२,४९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		राजस्व तथा वन विभाग—जारी				
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगर विकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	. .	१४,२४,३८,०००	. . .	१४,२४,३८,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाडी क्षेत्र।	. .	९,०००	. . .	९,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	१४,२४,४७,०००	२,६२,४९,०००	१६,८६,९६,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्योद्योग विभाग।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		वित्त विभाग				
जी-३	ब्याज अदायगियाँ और ऋण सेवाएँ।	२०४८, ऋण में कमी करने या परिहार्यता के लिए विनियोग। २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	१,४९,९७,२९,०००	१,४९,९७,२९,०००
जी-६	पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। . .	२०७१, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	. .	१,०००	. . .	१,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	३,३३,६२,०००	. . .	३,३३,६२,०००
		कुल—वित्त विभाग।	. .	३,३३,६३,०००	१,४९,९७,२९,०००	१,५३,३०,९२,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-३	आवास। . .	२२१६, आवास।	. .	८६,५०,२६,०००	. . .	८६,५०,२६,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	१,२५,००,००,०००	. . .	१,२५,००,००,०००

एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	२,११,५०,२८,०००	. . . .	२,११,५०,२८,०००
		जलस्रोत विभाग				
आय-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . . .	१७,९६,९७,०००	१७,९६,९७,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	. . . .	१७,९६,९७,०००	१७,९६,९७,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।	. .	३७,९६,४७,९०,०००	. . . .	३७,९६,४७,९०,०००
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	३७,९६,४७,९१,०००	. . . .	३७,९६,४७,९१,०००
		ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग				
एल-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
एल-२	जिला प्रशासन। . .	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	. .	३,०००	. . .	३,०००
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०५३, जिल्हा प्रशासन। २२१६, आवास २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	५,०९,७४,४९,०००	. . .	५,०९,७४,४९,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	५,०९,७४,४९,०००	. . .	५,०९,७४,४९,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-२	सहकारिता।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	२,०००	. . .	२,०००

		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण।	. .	१३,०००	. . .	१३,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	. .	१३,०००	. . .	१३,०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। . .	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय				
जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		अल्पसंख्याक विकास विभाग				
जेड ई-१	अल्पसंख्याक विकास।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०५३, जिला प्रशासन। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—अल्पसंख्याक विकास विभाग।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—क—राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	५५,३८,१९,२३,०००	१,७०,५६,७५,०००	५७,०८,७५,९८,०००
		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय				
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।	. .	२,९४,५४,११,०००	. . .	२,९४,५४,११,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	२,९४,५४,११,०००	. . .	२,९४,५४,११,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स उद्योग विभाग				
डी-९	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, मत्सोद्योग पर पुंजीगत परिव्यय। ६४०५, मत्स्योद्योग के लिए कर्ज।	. .	४,००,०२,०००	. . .	४,००,०२,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	. .	४,००,०२,०००	. . .	४,००,०२,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-८	लोकनिर्माण कार्य प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१५,२४,०९,०००	. . .	१५,२४,०९,०००
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	१५,२४,१०,०००	. . .	१५,२४,१०,०००

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय ।	४८०१, विद्युत परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय। ६८०१, विद्युत परियोजनाओ के लिए कर्ज।	. .	४९,५९,७५,००,०००	. . .	४९,५९,७५,००,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ।	. .	४९,५९,७५,००,०००	. . .	४९,५९,७५,००,०००

ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग

एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, मार्ग तथा पूलों पर पूंजिगत परिव्यय। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	१,०००	. . .	१,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

व्ही-३	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४४३५, अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगोंपर पूंजीगत परिव्यय।	. .	६,३७,००,०००	. . .	६,३७,००,०००
व्ही-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६४२५, सहकारिता के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज। ६८६०, उपभोक्त उद्योग के लिए कर्ज।	. .	१,१६,३०,००,०००	. . .	१,१६,३०,००,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	१,२२,६७,००,०००	. . .	१,२२,६७,००,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-३	सामाजिक सेवाओंपर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३६, पोषण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,०००	. . .	३,०००
		कुल-महिला तथा व बाल विकास विभाग।	. .	३,०००	. . . .	३,०००
		कुल—ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय।	. .	५३,९६,२०,२७,०००	. . . .	५३,९६,२०,२७,०००
		कुलयोग।	. .	१,०९,३४,३९,५०,०००	१,७०,५६,७५,०००	१,११,०४,९६,२५,०००

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.